

न्यूज़ हुडे

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सुरक्षित गर्भपात के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिलाओं को गर्भपात से संबंधित देखभाल के सभी चरणों (गर्भपात से पहले, गर्भपात के दौरान और गर्भपात के बाद देखभाल) में स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों।
- इसके अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि सेवा वितरण, समान रूप से और बिना किसी भेदभाव के गर्भपात कराने वाली महिलाओं की जरूरतों को पूरा करे।
- इस संबंध में WHO द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश:
 - गर्भपात को पूरी तरह से गैर-आपराधिक बनाना।
 - ऐसे कानूनों और विनियमों से बचना, जो गर्भपात को गर्भधारण की अवधि के आधार पर प्रतिबंधित करते हैं।
 - बेहतर सूचना और परामर्श सुविधा तक पहुँच प्रदान करना।
 - गर्भपात के लिए प्रतीक्षा अवधि को अनिवार्य न करना,
 - किसी अन्य व्यक्ति, निकाय या संस्था की अनुमति का इंतजार किए बिना महिला के अनुरोध पर गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराना।
- गर्भपात के बारे में:
 - पूरे विश्व में लगभग 45% गर्भपात असुरक्षित तरीकों से कराये जाते हैं। इनमें 97% असुरक्षित गर्भपात विकासशील देशों में कराये जाते हैं।
 - असुरक्षित गर्भपात कई लड़कियों, महिलाओं और माताओं की मृत्यु तथा बीमार पड़ने का एक प्रमुख कारण है। हालांकि, इन्हें रोका जा सकता है। यह महिलाओं में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जटिलताओं को जन्म दे सकता है। इसके अलावा यह महिलाओं, समुदायों और स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सामाजिक और वित्तीय बोझ का कारण बन सकता है।
 - सुरक्षित, समय पर, कम लागत में और सम्मानजनक तरीके से गर्भपात देखभाल तक पहुँच का अभाव लोक-स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता और मानवाधिकार का मुद्दा है।



असुरक्षित गर्भपात को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 [Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021]: यह कानून सभी महिलाओं को व्यापक गर्भपात देखभाल सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत RMNCH+A यानी प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health) कार्यक्रम: यह व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं (Comprehensive Abortion Care Services: CACS) प्रदान करता है।
- सभी राज्यों को CACS और गर्भपात की चिकित्सा पद्धतियों (Medical Methods of Abortions: MMA) पर दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) का संचालन किया जा रहा है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने "औषध उद्योग को मजबूत बनाने (Strengthening of Pharmaceutical Industry: SPI)" की योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

- इस योजना का उद्देश्य भारत को फार्मा (औषध) क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
 - इसके तहत साझा सुविधाओं का निर्माण करने के लिए फार्मा क्लस्टर (समूहों) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
 - लघु और मध्यम उद्योगों (SMEs) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) की उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए SMEs और MSMEs को उनके पूंजीगत ऋण पर ब्याज सहायता (इंटरैस्ट सबवेंशन) या पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
 - इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के निम्नलिखित 3 घटक या उप-योजनाएं हैं:

साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (Assistance to Pharmaceutical Industry for Common Facilities: APICF)	इसके तहत साझा सुविधाओं का निर्माण करके मौजूदा फार्मास्युटिकल क्लस्टर की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य फार्मा उद्योग की सतत वृद्धि सुनिश्चित करना है।
औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (Pharmaceutical Technology Upgradation Assistance Scheme: PTUAS)	प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले MSMEs को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनियामक संबंधी मानकों को पूरा कर पाएं।
औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना (Pharmaceutical & Medical Devices Promotion and Development Scheme: PMPDS)	इसके तहत फार्मास्युटिकल (औषध) और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों की संवृद्धि और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्य अध्ययन / सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस तैयार करने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा।

○ भारत में फार्मा उद्योग क्षेत्र पर एक नजर:

- भारतीय फार्मा उद्योग लॉन्ग (लॉन्ग) के अलावा 11 बिग (बिग) और 11 मीडियम (मिडियम) के अलावा 11 14वीं सबसे बड़े मीडियम है।
- भारत, वैश्विक लॉन्ग 11 बिग के मीडियम और सबसे बड़े औद्योगिक है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत का गेहूं निर्यात 10 मिलियन टन से भी अधिक होने की उम्मीद है

- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत से गेहूं का निर्यात तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। विश्व के अन्य गेहूं उत्पादक देशों की तुलना में भारत की गेहूं की फसल, मार्च की शुरुआत से ही उपलब्ध होगी।
 - वैश्विक गेहूं आपूर्ति में एक चौथाई हिस्सा रूस और यूक्रेन का है।
 - इससे पहले वित्त वर्ष 2012-13 में भारत से गेहूं का निर्यात ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उस वर्ष 6.5 मिलियन टन गेहूं का निर्यात हुआ था। चालू वित्त वर्ष में भारत ने वित्त वर्ष 2012-13 के आंकड़े को पार कर लिया है।
 - अब इस वित्त वर्ष में 10 मिलियन टन से अधिक गेहूं के निर्यात की उम्मीद की जा रही है।
- गेहूं के बारे में:
 - यह भारत में रबी (सर्दियों) मौसम में उगाई जाने वाली एक मुख्य फसल है।
 - भारत, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- गेहूं के लिए अनुकूल जलवायु स्थितियां:
 - यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों और सुदूर उत्तर के ठंडे इलाकों में भी उगाया जा सकता है।
 - इस फसल को वृद्धि के लिए अधिकांश समय ठंडे और नम मौसम की आवश्यकता होती है। जबकि, इसे ठीक से पकने के लिए शुष्क और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।
 - इसके लिए आवश्यक तापमान सीमा 20-25 डिग्री सेल्सियस है।
 - बालियां निकलते समय और पुष्पन या फूल आने के दौरान बहुत अधिक या बहुत कम तापमान और सूखा, गेहूं के लिए हानिकारक होता है।
 - गेहूं की खेती के लिए दोमट या चिकनी बलुई प्रकार की, सुगठित और मध्यम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी आदर्श होती है।



वर्ष 2021 के स्थिति के अनुसार, पंजाब गेहूं का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका का दावा, यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह चेतावनी जारी की गई है कि यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने पर रूस को करारा जवाब मिलेगा। यह चेतावनी ऐसे समय में दी गयी है जब रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक बुलाकर अमेरिका और यूक्रेन पर जैविक तथा रासायनिक हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है।

रासायनिक हथियार (Chemical Weapons)	जैविक हथियार (Biological weapons)
○ इसमें विषैले या रासायनिक पदार्थों से युक्त युद्धक सामग्री शामिल होती है। ये मानव शरीर तथा इसकी कार्य प्रणाली पर हमला करते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: ➤ फॉस्जीन जैसे दमघोटू कारक (Choking agents): ये फेफड़ों और श्वसन प्रणाली पर हमला करते हैं; ➤ ब्लिस्टर एजेंट, जैसे मस्टर्ड गैस: यह त्वचा को जला देती है तथा लोगों को अंधा कर देती है; और ➤ नर्व एजेंट: ये मस्तिष्क द्वारा शरीर की मांसपेशियों को भेजे जाने वाले संदेशों को बाधित करते हैं। ○ रासायनिक हथियार अभिसमय (Chemical Weapons Convention: CWC) के तहत रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, प्राप्ति या अधिग्रहण, भंडारण या धारण करना प्रतिबंधित है। ○ CWC वर्ष 1997 में लागू हुआ था। भारत सहित इसके 193 देश पक्षकार हैं।	○ जैविक हथियार: ये मनुष्यों, जानवरों या पादपों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले सजीवों या जहरीले पदार्थों का प्रसार करने वाले हथियार हैं। ➤ इन हथियारों में आम तौर पर दो भाग होते हैं: पहला, हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले कारक (weaponized agent) और दूसरा, इनको डिलीवर करने वाली प्रणाली (delivery mechanism)। ○ जैविक हथियार अभिसमय (Biological Weapons Convention: BWC) के तहत जैविक और विषैले हथियारों का विकास, उत्पादन, प्राप्ति या अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग करना प्रतिबंधित है। ○ यह अभिसमय वर्ष 1975 में लागू हुआ था। यह वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का एक पूरक समझौता है, जिसके तहत जैविक हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। ○ वर्तमान में 183 देश (भारत सहित) इसके पक्षकार हैं।

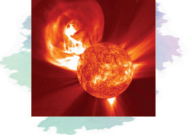
खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष मलबे (Space Junk) ने चंद्रमा पर एक बड़े क्रेटर का निर्माण किया है

- यह अंतरिक्ष मलबे का अनजाने में चंद्रमा से टकराने का पहला मामला है। इसके कारण चंद्रमा पर एक विशाल क्रेटर यानी गड्ढा (लगभग 65 फीट चौड़ा) निर्मित हो गया है।
 - यह अंतरिक्ष मलबा चीन द्वारा प्रक्षेपित चांग'ई 5-टी 1 (Chang'e 5-T1) का था। यह चीन का एक चंद्र मिशन है।
- चंद्रमा पर निर्मित होने वाले क्रेटर पृथ्वी की तुलना में अधिक स्थायी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि:
 - चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसके कारण चंद्रमा पर किसी भी प्रकार की पवन प्रणाली भी मौजूद नहीं होती है। इसलिए, यहाँ मौजूदा क्रेटर्स के क्षरण (erosion) का कोई कारण मौजूद नहीं होता है।
 - चंद्रमा पर विवर्तनिक गतिविधियां नहीं होती हैं। इसलिए चंद्रमा की सतह पर न तो नई चट्टानों का निर्माण होता है, न ही मौजूदा सतह के पैटर्न में कोई बदलाव होता है।
 - चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियों की अनुपस्थिति के कारण क्रेटर का मलबे से भरना असंभव हो जाता है।
- अंतरिक्ष मलबे को अंतरिक्ष कबाड़ भी कहा जाता है। ये बेकार हो चुके उपग्रह, रॉकेट या उनके टुकड़े होते हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
 - इनका आकार रॉकेट के अलग होने वाले चरणों से उत्पन्न मलबे जितना बड़ा हो सकता है या कुछ मिलीमीटर के बराबर भी हो सकता है।
 - अंतरिक्ष मलबे निम्न मू-कक्षा (low Earth orbit) में 25,265 कि.मी. प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
- अंतरिक्ष मलबे से जुड़े जोखिम:
 - अंतरिक्ष यात्री के सूट/उपकरण इस खतरे से निपटने में सक्षम नहीं होते हैं।
 - पृथ्वी में पुनः प्रवेश करने वाले मलबे से जन-जीवन को खतरा हो सकता है।
 - ये अंतरिक्ष परियोजनाओं के परिचालन की लागत में वृद्धि कर सकते हैं।

केसलर सिंड्रोम

- यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में मलबों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उनके टकराव का विनाशकारी चक्र आरंभ हो जाता है। इसके तहत प्रत्येक टकराव से निर्मित अंतरिक्ष मलबे से आगे टकराव की संभावना बढ़ती जाती है। इसके कारण पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की सघनता बढ़ती जाती है। यह स्थिति उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन योजनाकारों के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न करती है।

अन्य सुर्खियाँ

 राष्ट्रीय युवा संसद (National Youth Parliament)	○ हाल ही में, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव-2022 का आयोजन संपन्न हुआ। ○ राष्ट्रीय युवा संसद के बारे में: ➤ राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, अनुशासन एवं सहिष्णुता पैदा करना और छात्रों को संसद की प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना है। ➤ इस कार्यक्रम के तहत कक्षा IX से कक्षा XII के छात्रों के लिए 'किशोर सभा' और स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों के लिए 'तरुण सभा' का आयोजन किया जाता है। ➤ यह वर्ष 1966 से अस्तित्व में है, लेकिन इसका कवरेज बढ़ाने के लिए हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है।
 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau: NCRB)	○ NCRB का 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ○ NCRB के बारे में: ➤ NCRB की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी, ताकि अपराधियों को अपराध से जोड़ने में जांचकर्ताओं की सहायता की जा सके। ➤ इसकी सिफारिश टंडन समिति, वर्ष 1977-1981 के राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के एक टास्क फोर्स (वर्ष 1985) द्वारा की गई थी। ○ इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स / दस्तावेज: ➤ क्राइम इन इंडिया (भारत में अपराध) ➤ भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं (Accidental Deaths & Suicides in India) ➤ प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया ➤ फिंगरप्रिंट्स इन इंडिया ➤ भारत में लापता महिलाओं और बच्चों पर रिपोर्ट
 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management: CAQM)	○ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की सभी औद्योगिक इकाइयों को सितंबर, 2022 तक PNG या बायोमास ईंधन अपनाने का निर्देश दिया है। ○ CAQM की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। यह NCR और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ○ CAQM के कार्य: ➤ वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्रवाइयों का समन्वय करना। ➤ NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए योजना बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना। ➤ तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों का संचालन करना।
 जेनो ट्रांसप्लांटेशन (Xenotransplantation)	○ हाल ही में, जेनो ट्रांसप्लांटेशन कराने वाले व्यक्ति की ट्रांसप्लांटेशन के 2 माह बाद मृत्यु हो गई। ○ जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में: ➤ यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मानव के अलावा किसी जीवित पशु कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को प्राप्तकर्ता मानव के शरीर में प्रत्यारोपित, इम्प्लांट या प्रवेश कराया जाता है। ➤ जेनो ट्रांसप्लांटेशन में सूअरों का उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंग शरीर विज्ञान की दृष्टि से मनुष्यों के समान होते हैं। इसके अलावा, ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग के लिए अधिक अनुकूल भी होते हैं। ○ चिंताएं: ➤ कभी-कभी किसी व्यक्ति द्वारा दान किए गए अंगों को प्राप्तकर्ता व्यक्ति का शरीर अस्वीकार कर देता है। ➤ इसके अलावा पशु अधिकार, धर्म और नैतिकता से मुद्दे भी इसमें शामिल हैं।
 सिकल सेल एनीमिया (Sickle cell anaemia)	○ सिकल सेल एनीमिया, एक आनुवंशिक रक्त विकार (या रोग) है। यह रोग दक्षिण भारतीय राज्यों की जनजातियों में अधिक पाया जाता है। ○ यह रोग लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है, जो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाती हैं। ○ इस बीमारी से ग्रसित लोगों में 'हीमोग्लोबिन S' नामक एक विशिष्ट हीमोग्लोबिन अणु पाया जाता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को सिकल या अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकता है। ○ सिकल कोशिकाओं के ठीक से कार्य नहीं करने से लीवर, हृदय, गुर्दे, पित्ताशय की थैली, आंखें, हड्डियां और जोड़ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ○ स्टेम सेल या बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इस बीमारी का एकमात्र उपचार है, लेकिन इसमें बहुत अधिक जोखिम है।
 कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejections: CMEs)	○ भारतीय शोधकर्ताओं ने सूर्य के कोरोना की गतिकी (dynamics of Solar Corona) को जानने के लिए एक सरल इमेज-प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की है। यह तकनीक CMEs के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। ○ CMEs, सूर्य के कोरोना से विस्फोट के रूप में निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के बड़े विसर्जक (expulsions) हैं। ○ इसके तहत सूर्य के कोरोना से अरबों टन पदार्थ बाहर की ओर निकल सकते हैं। इन पदार्थों का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। साथ ही, इनका चुंबकीय क्षेत्र अपने आस-पास सौर पवनों द्वारा लाये गये अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता से अधिक प्रबल होता है। ➤ जब CMEs के आवेशित कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो वे आकाश में तीव्र प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे ऑरोरा (ध्रुवीय ज्योति) कहा जाता है।

 साहित्य अकादमी पुरस्कार	○ साहित्य अकादमी पुरस्कार, पिछले 5 वर्षों में भारत में प्रकाशित, सबसे बेहतर साहित्यिक पुस्तकों के लिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ○ भारत के संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में लिखे गये साहित्य को इस पुरस्कार के लिये चुना जाता है। ○ पुरस्कार विजेताओं को एक तांबे की उत्कीर्णित पट्टिका, शॉल और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। ○ साहित्य अकादमी, भारत में ज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी है। यह देश में साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और प्रचार-प्रसार के लिए एक केंद्रीय संस्था है। ➤ साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है।
 जी.आई. टैग वाला कश्मीरी हस्तनिर्मित कालीन (GI-tagged Kashmir carpets)	○ पहली बार भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त कश्मीरी कालीन को जर्मनी निर्यात किया गया है। ○ हस्त निर्मित कश्मीरी कालीनों को वर्ष 2016 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DIPP) द्वारा जी.आई. टैग प्रदान किया गया था। लेकिन पंजीकृत कालीनों का प्रमाणन इस वर्ष से शुरू हुआ है। ○ कश्मीरी कालीन का इतिहास फारस के प्रसिद्ध सूफी संत और विद्वान, हजरत मीर सैयद अली हमदानी (1341– 1385 ईस्वी) के काल का है। ○ कश्मीरी कालीन ईरानी कालीनों से मिलती-जुलती है। हालांकि, कश्मीरी कालीनों में बुनकर, डिजाइन पैटर्न और रंगों के लिए कोड और प्रतीकों के एक लिखित सेट का उपयोग करते हैं, जिसे तालीम कहा जाता है। ○ तालीम, एक कोड युक्त रंगों का चार्ट है। यह चार्ट एक विशेष रंग में बुने जाने वाली नॉट्स (गठानों) की संख्या को इंगित करता है।
 संथाली सोहराई भित्ति चित्र (Santhali Sohrai mural)	○ ओडिशा और झारखंड के संथाल समुदाय के लोग सोहराई भित्ति चित्र बनाने के अपने तरीकों में परिवर्तन कर रहे हैं। ○ सोहराई भित्ति कला के बारे में: ➤ इसे मिट्टी की दीवार पर चित्रित किया जाता है। यह एक मातृसत्तात्मक परंपरा है, जो मां से बेटी को सौंपी जाती है। ➤ ये चित्र आमतौर पर या तो एक रंग के (मोनोक्रोमैटिक) या रंगीन होते हैं, जिसमें मिट्टी में मिश्रित प्राकृतिक पिगमेंट का उपयोग किया जाता है। ➤ इसमें लाल रेखा सबसे पहले खींची जाती है, क्योंकि यह "पूर्वजों के रक्त", प्रसव और प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। ➤ इस चित्रकला का आयोजन विवाह और फसल कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। ➤ यह परंपरा 10,000 – 4,000 ईसा पूर्व से जारी है, जो गुफा-संरचनाओं में अधिक प्रचलित थी। ➤ वर्ष 2020 में, झारखंड को अपनी सोहराई कला के लिए भौगोलिक संकेतक (GI टैग) प्राप्त हुआ।



8468022022, 9019066066



www.visionias.in



/c/VisionIASdelhi



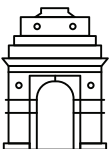
/Vision_IAS



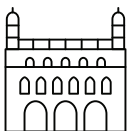
/visionias_upsc



/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



लखनऊ



जयपुर



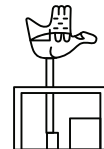
हैदराबाद



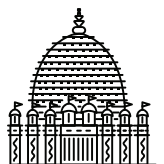
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी